कृषि विभाग–पौधा संरक्षण
पौधा संरक्षण सामयिक सूचना

अंक– 04 / 2015–16

"खरीफ धान "

धान फसल में खरपतवार नियंत्रण

धान उत्पादन में होने वाली कुल क्षति का 33% क्षति खरपतवार से होती है। जो कीट / व्याधि से होने वाली कुल क्षति से कही ज्यादा है। यह क्षति परोक्ष होती है। फिर भी कृषकों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है।

खरपतवार हमारे फसल के पौधों से पोषण, स्थान, प्रकाश एवं जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आरम्भिक अवस्था में धान फसल के पौधों की वृद्धि दर खरपतवार के पौधों से कम रहने के कारण ये प्रतिस्पर्धा में धान फसल के पौधों से आगे होकर उपज दर में कमी लाते है। धान फसल के पौधों की जिस अवस्था में खरपतवार अधिकतम कुप्रभाव डालते है उसे प्रतिस्पर्धा की चरम अवधि कहा जाता है। यह अवधि धान फसल में बुआई के 15 से 45 दिन तथा रोपी गयी फसल में रोपाई के 30 से 45 दिन तक होती है। इस अवधि में धान फसल को खर–पतवार मुक्त रखना चाहिए यानि प्रबंधन / नियंत्रण कर लेनी चाहिए ताकि उत्पादन प्रभावित नहीं हो।

धान के प्रमुख खर–पतवार:– धान के प्रमुख खरपतवार में सावाधास, मकरा, कोदों, बनरा कनकवा, सफेद मुर्गा, भंगरा, बडी दुंदधी, जंगली धान, दूब तथा मोथा आदि है। जलीय क्षेत्रों मे कर्मी तथा जल कुम्भी की अधिकता होती है।

प्रबंधन:– सामान्यतः धान फसल में दो निकाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निकाई बुआई अथवा रोपाई के 20–25 दिन बाद तथा दूसरी 40–45 दिन बाद करके खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।

फसल एवं खरपतवार की प्रतिस्पर्धा के क्रान्तिक समय में मजदूरों की कमी या असामान्य मौसम के कारण कभी–कभी खेत में अधिक नमी हो जाने के फलस्वरूप यांत्रिक विधि से निकाई संभव नही हो पाता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवारनाशी रसायनों के द्वारा नियंत्रण किया जाना आवश्यक हो जाता है।

धान फसल के प्रमुख खरपतवारनाशी :–

1. **पेंडी मिथलीन 30%EC :-** यह खरपतवारनाशी प्रीइमरजेन्स (खर–पतवार उगने के पूर्व) प्रकृति का है, इसकी 2.5 लीटर प्रति हे0 की दर से बुआई के 3–5 दिनों के अंदर पानी में घोल बना कर छिडकाव करना चाहिए।
2. **ब्यूटाक्लोर 50% EC :–** रोपनी के 2–3 दिनों (72 घंटे) के अन्दर 2.5 लीटर 600–700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए अथवा 50–60 किलोग्राम सूखे बालू में मिलाकर भूरकाव किया जा सकता है। बशर्ते की खेत में हल्का पानी लगा रहना आवश्यक है।
3. **प्रिटिलाक्लोर 50% EC**:- रोपनी के 2–3 दिनों के अंदर 1.5 लीटर की मात्रा को 600–700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
4. **अक्सीफ्लोरफेन 23.5%EC**:- 500 मि0 ली0 प्रति हे0 के दर से छिडकाव किया जा सकता है। पैडी ट्रांसप्लांटर अथवा जीरोटिलेज या सीडड्रील विधि में सीधी बुआई के 3 से 5 दिनों के अन्दर व्यवहार करें।
5. **पाइरेजोसल्फूरान ईथाइल 10%WP**:- इस खरपतवारनाशी का 200 ग्राम प्रति हे0 की दर से रोपनी के 8 से 10 दिनों के अन्दर 600–700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव या 50–60 किलोग्राम सूखे बालू में मिलाकर व्यवहार किया जाना चाहिए।

   जीरोटिलेज या सीडड्रील विधि से धान की सीधी बोआई में 15–20 दिनों के अदर इसका व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि खेत में प्रर्याप्त पानी हो तो सूखे बालू में मिलाकर खेत में डाला जा सकता है।

6. **बिस्पाइरी बैक सोडियम 10%SL:-** यह खरपतवारनाशी पोस्ट इमरजेन्स (खरपतवार उगने के पश्चात) प्रकृति का है। इसका व्यवहार 250 मि0ली0 प्रति हे0 की दर से बुआई या रोपनी के 15–20 दिनों के अंदर 700–800 लीटर पानी प्रति हे0 में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए।

खरपतवारनाशी रसायनों के प्रयोग में सावधानियाँ:–

1. रसायनों की अनुशंसीत मात्रा का ही व्यवहार करें।
2. सही समय पर उचित खरपतवारनाशी रसायनों का व्यवहार करें।
3. खरपतवारनाशी रसायनों के घोल को पूरे खेत में समान रूप से छिडकाव करें।
4. खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते समय भूमि में प्रयाप्त नमी होनी चाहिए।
5. छिड़काव सदैव हवा शान्त रहने पर तथा साफ मौसम में करना चाहिए।
6. खरपतवारनाशी रसायनों के छिड़काव के लिए फ्लैट फैन/फ्लड जेट नोजल का ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
7. छिड़काव करने के पहले एवं छिड़काव के बाद मशीन को अच्छी तरह पानी से धो कर साफ कर लेना चाहिए, ताकि खरपतवारनाशी का अंश बचा न रह जाय।

विशेष सेवा एवं सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केन्द्र या कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जिला कृषि कार्यालय से सम्पर्क करे।

ह0/–
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 19–4/पौ0सं0सर्वे0/13–14– 833 /कृ0,पटना, दिनांक– 21 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः– केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी (सभी)/केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना की सेवा में प्रेषित करते हुए आग्रह है कि कृपया जनहित में उपर्युक्त सूचनाओं को कृषि कार्यक्रमों में प्रसारित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण (सभी)/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण (आई0पी0एम0) पटना/सर्वेलेन्स शाखा मुख्यालय, पटना/किसान कॉल सेन्टर, पटना/वनस्पति रक्षा अधिकारी, भारत सरकार सी0आई0पी0एम0सी0, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/ उप/सहायक निदेशक, पौ0 सं0, (सभी)/उप निदेशक, (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) सभी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित। आपसे आग्रह है कि किसानों के हित में उक्त सूचनाओं को प्रचारित–प्रसारित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर एवं पूर्णियाँ/वरीय वैज्ञानिक कीट/रोग, कृषि अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, मीठापुर पटना/कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र (सभी)/निदेशक, प्रसार शिक्षा रा0 कृ0 वि0 वि0, पूसा समस्तीपुर/बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर, भागलपुर की सेवा में समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने अनुभवों के आधार पर अपना बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपिः– पौधा संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार/निदेशक, आई0 पी0 एम0, भारत सरकार, पौधा संरक्षण संगरोध एवं संचयन निदेशालय, एन0 एच0–4 फरीदाबाद (हरियाणा) की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/07/15
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

जैविक अपनायें, स्वच्छ उपजायें।
स्वच्छ खायें, स्वस्थ रहें ।।